फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बालेसर

सायरदेवी पत्नी कंवरलाल वगैराह **बनाम** उमाराम पुत्र गोकलराम वगैराह

किस्म मुकदमा 212 राज. का. अधि. 1955 मुकदमा नम्बर 318/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
12 20/09/2021	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थिगणों की पुश्तैनी भूमि है जिसमें प्रार्थीगणों का नाम खातेदारी में दर्ज नही है। प्रार्थीगण मौके पर काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान करने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने एवं निर्माण करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 24.01.2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम खेतासर, पटवार हल्का ढाढणिया, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 372 रकबा 39.03 बीघा भूमि का अप्रार्थीगण विशिष्ठ भू–भाग दर्शाकर बैचान, हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नही करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 03 की पालना करते हुए अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 24.01.2022 को पेश हों।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
9/1/23	पत्रावली प्रस्तुत कर [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य/चुनाव [illegible] व्यस्त हैं। पत्रावली इतला लेकर दिनांक 10/1/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/1/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप०/अप्रार्थीगणों को न्यायालय में उप० होने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 21/2/23 को पेश हो। स्थगन आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है। (हस्ताक्षर)	
24/1/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने वाद विड्रोल करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। पक्षकारों में राजीनामा होना बताया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दिनांक 20/12/22 को जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है। पत्रावली जैरतल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Khemada
Date: 2023.03.09 16:15:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner